

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या-

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग-2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/UR/ROAD/

7- परियोजना/स्कीम का स्थान Construction of Motor Road from Km. 1 of Mahavishyadaya Taluqa to Gov. Inter College Taluqa. 10924/2015.

(1) राज्य/संघ शोषित क्षेत्र :- उत्तराखण्ड राज्य

(2) जिला :- चमोली

(3) वन प्रभाग :- वडीनाथ वन प्रभाग, गंगोत्री (चमोली)

(4) वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (है०) 0.708

(5) वन की कानूनी स्थिति :- सिविल भूमि

(6) हरियाली घनत्व :- 0.3

(7) जातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि/श्रेणीवार वृक्षों की उस्ताव में संलग्न

परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0- 2 भी0 पर परिगणना और एफ0आर0एल0 -4 भी0 भी संलग्न किये जायें।

(8) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी

उस्तावित क्षेत्र में भूस्खलन की संभावना नहीं है।

(9) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)

(10) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हो/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।

नहीं

(11) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/पौरम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

नहीं

(8) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

उस्तावित कुल भूमि न्यूनतम है अभी अभी उस्तावित है स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण करवाया जायेगा।

(9) क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

नहीं

10- प्रतिपूरक वनीकरण रकम का ब्यौरा-

(11) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभিনিर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार

संलग्न

- (2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप
- (3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन ऐजेन्सी समय अनुसूची लागत, ढांचा आदि
- (4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय
- (5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम-7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।

12- विभाग/जिलाप्रोफाईल :-

- (1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र:- 803000 ई०
- (2) जिला का वन क्षेत्र:- 514792 ई०
- (3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र :-

(4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर

(5) 14/6/2015 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वन भूमि पर 839.83

(ख) वनेत्तर भूमि पर 00

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के सम्बन्ध उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

तिथि:- 16/6/2015

स्थान:- बघोनाथ वन प्रभाग
भोपेदवर

संलग्न

जावकलन प्रस्ताव में संलग्न
प्रस्ताव में संलग्न

संलग्न

संस्तुति की जाती है।

(नाम:- राज. ० रु. ० पाण्डेय)

प्रभागीय वन संरक्षक
सरकारी मोहर
बघोनाथ वन प्रभाग
भोपेदवर (चमोली)